25/2/26

अपराध। अभियुक्त अधिवक्ता उपस्थित। अदालत अभियोजन के गवाह PW1 इंद्रदेव सिंह, PW2 बालू सिंह, PW3 संतोष सिंह, PW4 कानाराम के बयान लेकर केस। गवाह रामदेव की जिरह पूर्ण नहीं हुई। गवाह सगदीश का नोटिस पेश हुआ।

इसलाह

आज 25/02/26

गवाह सगदीश, गवाह बटलाट के राम सिंह तथा बालू सिंह को सख्त तलब हो पेश करने वाले अदालत अभियोजन ने अगली तारीख 7/3/26 को पेश हो।

अतिरिक्त मजिस्ट्रेट
बाड़मेर जिला-बाड़मेर